

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

"भ्रमण दर्शन योजना"

अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।



आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 25.08.2022 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या: 1953, दिनांक: 09.06.2022 से प्राप्त की जा सकती है, जो विभागीय वेबसाइट: <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर प्रदर्शित है।

मत्स्य निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रकाशित



बिहार सरकार

मत्स्य निदेशालय

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग



योजना का उद्देश्य:

- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्य कृषकों को भ्रमण-दर्शन कार्यक्रम के द्वारा मात्स्यिकी के नवीनतम तकनीक से अवगत कराना है, ताकि वे प्रेरित होकर इस तकनीक को अंगीकार करते हुए अपने-अपने जलश्रोतों में लागू करते हुए लाभान्वित हो सकें।

लाभुकों का चयन:

- निजी/पट्टा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन करने वाले मत्स्य पालक।
- विभागीय विभिन्न योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता।
- प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रगतिशील सक्रिय सदस्य।
- ऐसे प्रगतिशील मत्स्य पालक जो विभागीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हों एवं ऐसे कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हों तथा उनके पास समुचित संसाधन उपलब्ध हों।

आवेदन की प्रक्रिया:

- योजना हेतु आवेदन fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।